

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 37 / 2016

दर्ज दिनांक:— 12.04.2016

1. ओमप्रकाश पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. कार्यक्रम अधिकारी नरेगा पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

नीरपालसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—23.02.2018

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप. बार-बार हिदायत देने के बावजूद भी तलवी प्रतिवादीगण की नहीं कराई गई। प्रतीत होता है कि वादीगण को अपने दावा में कोई रूचि नहीं है। अतः दावा वादीगण अन्तर्गत ओ.-9-आर.5-सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर